भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 69

07 फरवरी, 2024 के लिए प्रश्न

पीडीएस

***69. श्री सुशील कुमार रिंकू:**

श्री संजय सेठ:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) विगत चार वर्षों के दौरान पंजाब, झारखंड और पश्चिम बंगाल में इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और देश में विशेषकर उक्त राज्यों में इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार देश में सार्वजनिक वित्तरण प्रणाली और भंडारण क्षेत्र में सुधार करने की योजना बना रही है; और

(ड.) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

लोक सभा में दिनांक 7 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 69 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई), खाद्यान्न (चावल, गेहूं और मोटे अनाज) प्राप्त करने के लिए ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% तक कवरेज सुनिश्चित करती है। पात्र परिवारों में प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार शामिल हैं। प्राथमिकता वाले परिवार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं और अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत कवर किए गए परिवार प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करते हैं। पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है।

निर्धनों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, वहनीयता और उपलब्धता के संदर्भ में, पीएमजीकेएवाई के लाभार्थियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए और सभी राज्यों में एकरूपता बनाए रखने के लिए, सरकार ने 1 जनवरी, 2024 से पांच वर्षों की अवधि के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों (अर्थात अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार और प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) लाभार्थियों) को नि:शुल्क खाद्यान्न प्रदान करना जारी रखने का निर्णय लिया है, जिस पर होने वाले 11.80 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित वित्तीय परिव्यय का वहन पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

(ख): भारत सरकार पात्र लाभार्थियों को मासिक वितरण करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राजसहायता-प्राप्त खाद्यान्नों का आबंटन करती है। वर्ष 2020-21 से पंजाब, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए खाद्यान्नों के आबंटन और उठान का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। जिला-वार डाटा का रखरखाव नहीं किया जाता है।

(ग): पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आबंटन पूर्ववर्ती योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा प्रकाशित परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित जनसंख्या के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कवरेज, अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित कवरेज और खाद्यान्न पात्रता के भीतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लाभार्थियों की पहचान के आधार पर किया जाता है। अधिनियम में आगे यह प्रावधान है कि यदि उपर्युक्त आधार पर किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को वार्षिक खाद्यान्न आबंटन पूर्ववर्ती सामान्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 2010-11 से 2012-13 के दौरान हुए औसत वार्षिक उठान से कम है, तो उसे संरक्षित किया जाएगा और राज्य को अनुसूची-IV में यथा-विनिर्दिष्ट खाद्यान्नों का आबंटन किया जाएगा। शासी पीएमजीकेएवाई की अनुसूची-IV के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रति वर्ष 549.26 लाख टन खाद्यान्न के हकदार हैं। अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों को शामिल करने/हटाने के आधार पर आबंटन में वृद्धि/कमी एक सतत प्रक्रिया है।

...2/-

(घ) और (ङ): सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी आधारित सतत सुधारों के कारण, राशन कार्डों के 100% डिजिटीकरण, उचित दर दुकानों (एफपीएस) तक मासिक खाद्यान्न आबंटन आर्डरों के सृजन के लिए ऑनलाइन आबंटन मॉड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरणों की स्थापना, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण, ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली और पारदर्शिता पोर्टलों की शुरुआत के रुप में राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की गई है। विभाग ने निरंतर तकनीकी प्रगति से अगस्त 2019 में 4 राज्यों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना लागू की थी और जून 2022 के अंत तक ओएनओआरसी पूरे देश में लागू कर दी गई थी।

वर्तमान में, यह विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उन्नत एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला सॉफ्टवेयर के विकास/कार्यान्वयन के लिए नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस)-"सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार हेतु योजना (स्मार्ट-पीडीएस)" कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, क्लाउड अवसंरचना का लाभ उठाते हुए मौजूदा सर्वरों/डाटा केन्द्रों को प्रतिस्थापित करने का प्रावधान किया गया है।

इस योजना में विभिन्न अनुप्रयोग मॉड्यूलों, पोर्टलों, डैशबोर्डों, अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ एकीकरण आदि के सहयोग को जारी रखने का भी प्रावधान है, जिन्हें पूर्ववर्ती एक छोड़ से दूसरे छोड़ तक कंप्यूटरीकरण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन (आईएम-पीडीएस) योजनाओं के तहत विकसित किया गया था। इसमें केन्द्रीय प्रणाली और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुप्रयोग को कवर करते हुए आईएमपीडीएस के तहत खरीदी गई आंकड़ा केन्द्र सेवाओं को जारी रखना भी शामिल है।

इस योजना में न केवल प्रमुख प्रौद्योगिकीय सुधार शुरू करने की परिकल्पना की गई है, बल्कि संपूर्ण पीडीएस पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तनकारी बदलाव के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में प्रौद्योगिकी आधारित बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की भी परिकल्पना की गई है। यह योजना सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए 349.9 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ लागू की जानी है।

स्मार्ट-पीडीएस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उन्नत सुविधाओं और कार्यात्मकताओं के साथ एक सॉफ्टवेयर स्वीट प्रदान करता है, ताकि उनके स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के आधुनिकीकरण को सक्षम बनाने के लिए भविष्य के लिए तैयार-आईटी टूल्स का लाभ उठाया जा सके।

स्मार्ट-पीडीएस का उद्देश्य सर्वर, सॉफ्टवेयर और तकनीकी जनशक्ति के संबंध में राज्य स्तर की तकनीकी सीमाओं को दूर करके, क्लाउड अवसंरचना का लाभ उठाकर और देश भर में पीडीएस से संबंधित सभी प्रचालनों को कवर करते हुए एक एकीकृत केंद्रीय प्रणाली को संस्थागत बनाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के संचालन में लाए गए व्यवस्थित सूचना प्रौद्योगिकी प्रेरित सुधारों को जारी रखना है।

...3/-

भारतीय खाद्य निगम ने भंडारण क्षेत्र में सुधार के लिए विभिन्न पहलें की है, जो निम्नानुसार है:-

(i) कवर्ड और प्लिंथ (कैप) स्टोरेज को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना।

(ii) भारतीय गुणवत्ता परिषद से भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन।

(iii) गोदाम संचालनों का मशीनीकरण।

(iv) पीपीपी मोड के तहत साइलो का निर्माण।

(v) भंडागारण विकास विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) प्रमाणन।

*****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 07.02.2024 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं.69 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(हजार टन में)

वर्ष	खाद्यान्न	झारखंड		पंजाब		पश्चिम बंगाल	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
2020-21	चावल	1542.58	1565.61	0.00	0.00	1607.95	1595.30
	गेहूं	196.93	194.98	870.12	466.19	2362.67	2346.26
	कुल	1739.51	1760.58	870.12	466.19	3970.62	3941.56
2021-22	चावल	1034.94	924.82	0.00	0.00	1607.95	1548.59
	गेहूं	689.96	576.84	870.12	879.69	2362.67	2268.44
	कुल	1724.90	1501.66	870.12	879.69	3970.62	3817.03
2022-23	चावल	1337.59	1301.15	0.00	0.00	2253.30	2464.55
	गेहूं	406.14	406.86	870.12	659.74	1717.32	1662.79
	कुल	1743.73	1708.01	870.12	659.74	3970.62	4127.34
2023-24 #	चावल	1400.82	930.38	0.00	0.00	2382.37	1889.20
	गेहूं	350.20	238.47	870.12	412.20	1588.25	1129.59
	कुल	1751.02	1168.84	870.12	412.20	3970.62	3018.79

नोट (#) वर्ष 2023-24 के लिए खाद्यान्नों के उठान का डाटा जनवरी, 2024 तक है।

****